भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2678

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन,1946, (शक)

छोटी फर्मों का डेटाबेस

2678. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में पचास से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली फर्मों और उनमें उपलब्ध सुविधाओं का डेटाबेस स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों व बुनियादी ढांचे की कमी और असंगत कार्य घंटों जैसी परिचालन चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने स्वैच्छिक और स्वघोषणा के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के पंजीकरण के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) शुरू किया है। दिनांक 13.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, देश में पश्चिम बंगाल के एमएसएमई समेत कुल एमएसएमई की संख्या 2,28,985 है, जिन्होंने पचास से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने की घोषणा की है।

इन उद्यमों के सामने आने वाली परिचालन और अवसंरचना संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने और नए/मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना/अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाते हुए एमएसई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है, इसलिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। मौजूदा श्रम कानूनों के अनुसार, काम के घंटे और ओवरटाइम आदि सहित काम करने की स्थितियों को कारखाना अधिनियम, 1948 और संबंधित राज्य सरकारों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के उपबंधों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालयों सहित अधिकांश प्रतिष्ठान दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित होते हैं, जिसके लिए उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है।

*****